	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए

0[illegible].12.2024

वकील उभयपक्ष उपस्थित। पत्रावली वास्ते आदेश प्राथमिक एतराज एवं दफा 05 मियाद अधिनियम प्रस्तुत हुयी।

वकील रैस्पो0 का प्राथमिक एतराज यह रहा है कि अपील अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.07.2023 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जो कि एक अंतरिम आदेश है। विधि अनुसार अंतरिम आदेश के विरूद्ध अपील न्यायालय हाजा में पोषणीय नहीं है। दूसरा एतराज यह रहा है कि अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की गयी है एवं अपील प्रस्तुत करने में हुयी देरी का कोई उचित कारण भी अंकित नहीं किया है। यह है कि अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10 के तहत पक्षकार मुकदमा बने हैं। अतः पक्षकार मुकदमा बनने पर उन्हें अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश की जानकारी हो गयी। परन्तु पक्षकार मुकदमा बनने के बाद भी अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की गयी है। इसलिये दफा 05 मियाद अधिनियम का निस्तारण किये बिना स्थगन नहीं दिया जा सकता। परन्तु न्यायालय हाजा से अपीलाण्ट ने स्थगन प्राप्त कर लिया, जो विधि अनुसार नहीं है। अंत में प्राथमिक एतराज स्वीकार करते हुये अपील अपीलाण्ट इसी स्तर पर खारिज किये जाने का निवेदन किया। अपने तर्कों के समर्थन में न्यायिक नजीर आरआरटी 2014–15 पेज 59, 2024(1) पेज 653, 2017(2) पेज 787, 2021(2) पेज 610, 2023(2) पेज 867, आरबीजे 2006 पेज 78, 2010 पेज 289 का उद्धरण प्रस्तुत किया।

वकील अपीलाण्ट का कथन रहा है कि हमने विवादित आराजी में हिस्सा क्रय किया है। अतः हम अपीलाधीन आदेश से पीडित हैं। अधीनस्थ न्यायालय से स्थगन होने के कारण दाखिला नहीं हो रहा था। हम अधीनस्थ न्यायालय में आदेश 01 नियम 10 के प्रार्थना पत्र के तहत दिनांक 12.06.2024 को पक्षकार मुकदमा बने एवं अपील दिनांक 20.08.2024 को प्रस्तुत की जो जानकारी की दिनांक से अंदर मियाद है। रैस्पो0 ने अपीलाण्ट के शपथ पत्र का जवाब प्रस्तुत नहीं किया। मियाद के बिन्दू पर उदार दृष्टि अपनानी चाहिये। अंतरिम आदेश जब तक निरस्त नहीं होते उन्हें अन्तिम ही माना जावेगा। अंतरिम आदेश के विरूद्ध आदेश 39 नियम 3 व 3 ए अपील योग्य नहीं है परन्तु आदेश 39 नियम 1 व 2 अपील योग्य हैं। अंत में प्रार्थना पत्र प्राथमिक एतराज खारिज किये जाने का निवेदन किया। अपने तर्कों के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त आरआरडी 1985 पेज 351, आरआरटी 2014(1) पेज 409 का उद्धरण प्रस्तुत किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस उभयपक्ष पर मनन किया। रैस्पो0 की प्राथमिक आपत्ति यह रही है कि हस्तगत अपील अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर, उच्चैन के अंतरिम आदेश दिनांक 11.

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

न्यायालय हाजा में अपील पोषणीय नहीं है। दूसरी आपत्ति यह रही है कि अपीलाण्ट द्वारा अपील भी मियाद बाहर प्रस्तुत की गयी है। न्यायालय हाजा को चाहिये था कि वह पहले मियाद के बिन्दू को तय करते तत्पश्चात् स्थगन पर सुनवाई करते। हमने मनन किया एवं पत्रावली का अद्योपान्त अध्ययन किया। न्यायालय सहायक कलक्टर उच्चैन का अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.07.2023 एक अंतरिम आदेश है जो दिनांक 08.08.2023 तक ही प्रभावी है। अतः उक्त आदेश एक अंतरिम आदेश है ना कि अंतिम आदेश, जो केस डिसाईडेड की श्रेणी में नही आता है। अपीलाण्ट के पास समुचित अवसर था कि वह अधीनस्थ न्यायालय में ही अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध चाराजोही करते, उक्त अवसर का उपयोग किये बिना अपील में आना परिहार्य है। वादकरण की बहुलता यथा सम्भव टालने योग्य है। जैसा कि माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेंर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 05.11.2024 उनवानी बिलाल वगै0 बनाम गोरा व अन्य में आरआरटी 2014(1) पेज 409 जगदीश बनाम भोपालाराम में मण्डल की वृहदपीठ के निर्णय पैरा संख्या 73 के बिन्दु संख्या 01 एवं राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 6439 दिनांक 06.08.2024 के पैरा संख्या 04 का उल्लेख करते हुये यह माना है कि प्रथम अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अधीनस्थ न्यायालयों के इस प्रकार के प्रकरणो में सकारण उल्लेख किये बिना आगामी पेशी तक दिये गये विधिसम्मत अंतरिम आदेशो में अनावश्यक और अ–न्यायोचित रूप से हस्तक्षेप किया जाकर परीक्षण न्यायालय के स्थगन आदेशो को अपास्त कर दिया जाता है। इसके कारण परीक्षण न्यायालय के स्तर पर लम्बित मूल वाद में वादग्रस्त भूमि के खुर्द बुर्द होने व मूल वाद के गुणावगुण पर अंतिम निर्णय भी प्रभावित होने की संभावना रहती है, जिसे न्यायोचित नहीं कहा जा सकता है। उपरोक्त विवेचनानुसार हम अपील अपीलाण्ट पोषणीय नहीं होने के कारण इसी स्तर पर खारिज योग्य पाते हैं। जहॉ तक मियाद का प्रश्न है। अपीलाण्ट को अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश की जानकारी होने के पश्चात् उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 06.05.2024 को प्रार्थना पत्र 01 नियम 10 सीपीसी प्रस्तुत किया गया है। अर्थात अपीलाण्ट को दिनांक 06.05.2024 को प्रकरण का ज्ञान हो गया। परन्तु उन्होनें न्यायालय हाजा में अपील दिनांक 20.08.2024 को प्रस्तुत की गयी है, जो स्पष्ट रूप से मियाद बाहर है। उपरोक्त विवेचनानुसार हम रैस्पो0 द्वारा प्रस्तुत प्राथमिक एतराज को स्वीकार किया जाकर, अपील अपीलाण्ट इसी स्तर पर खारिज योग्य समझते हैं।

अतः आदेश है कि रैस्पो0 का प्रार्थना पत्र प्राथमिक एतराज स्वीकार किया जाकर, अपील अपीलाण्ट एवं इस न्यायालय का आदेश दिनांक 28.08.2024 खारिज किये जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावें, बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 04.12.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(सुनिल आर्य)
आर0ए0एस0
भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर